न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री कैलास चन्द्र लखारा , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/1/2016

उनवान

1. देबी लाल पिता हीरा सुथार निवासी केरिया तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
2. श्रीमती सोहनी देवी पत्नि हीरा सुथार निवासी केरिया तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, माण्डल जिला भीलवाडा
3. श्रीमती लादी पत्नि स्व0 नन्दा सुथार निवासी केरिया तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
4. रतन पुत्र स्व0 नन्दा सुथार निवासी केरिया तहसील माण्डल
5. टीपु पुत्र स्व0 नन्दा सुथार निवासी केरिया तहसील माण्डल
6. श्रीमति सुगना पुत्री स्व0 नन्दा सुथार निवासी केरिया तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के प्रकरण
संख्या 102/2014 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.11.2015

अधिवक्तागण :–

1.श्री सूरज सनाढ्य ,अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2.श्री राजू डिडवानिया,अधिवक्ता प्रत्यर्थी स0 1 से 4
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

दिनांक 5.03.2020

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 3 / वादी की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के परिवार के सजरा निम्न प्रकार है :–

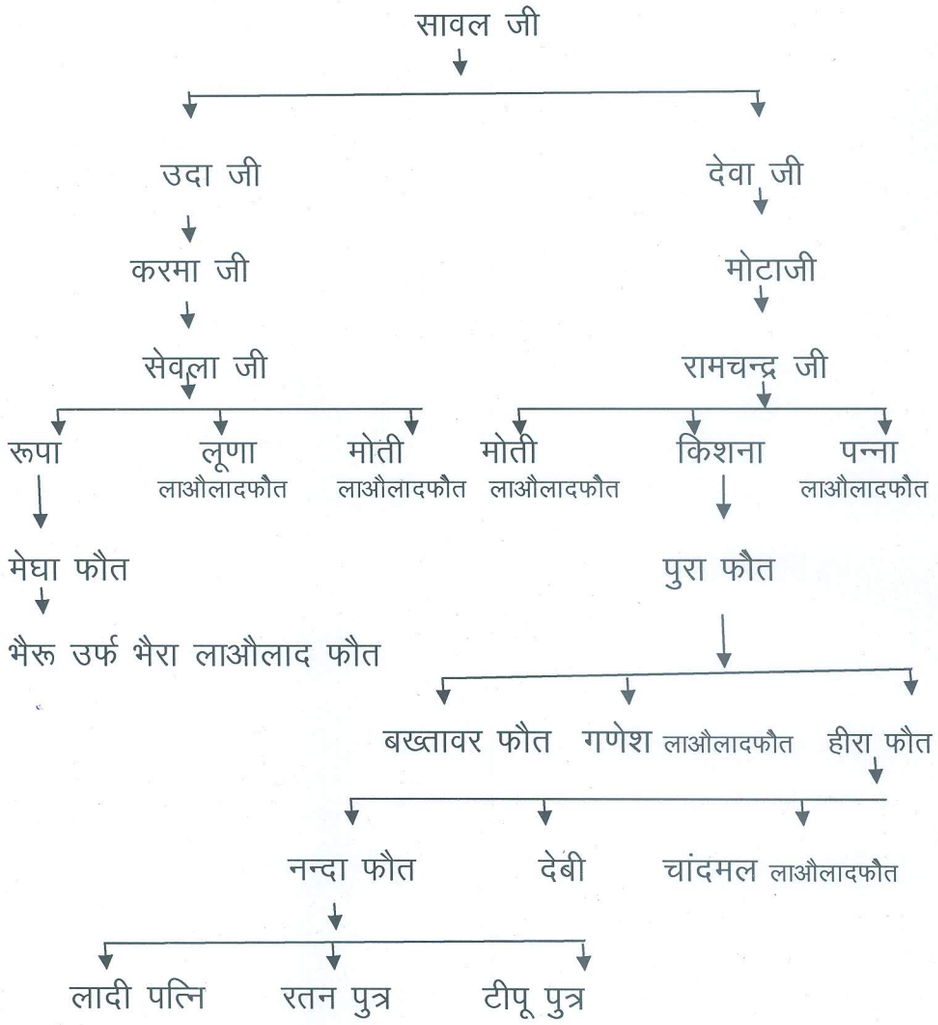

2. इस प्रकार वादीगण एवं भैरा पुत्र श्री मेघा खाती निवासी केरिया के वारिस है व केवल मात्र वादीगण जीवित वारिसान है, इनके अलावा अन्य कोई विधिक वारिसान व उत्तराधिकारी नहीं है।

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, शीलवाड़ा

3. मौजा केरिया पटवार हल्का केरिया तहसील माण्डल की खतौनी नम्बर 501 में आराजी नम्बर 2553 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, आराजी नम्बर 2559 रकबा 6 बिस्वा, आराजी नम्बर 3560 रकबा 11 बिस्वा, कुल किता 3 कुल रकबा 2 बीघा 04 बिस्वा भूमि स्थित है जो राजस्व रेकार्ड में भैरा पुत्र मेघा खाती निवासी केरिया तहसील माण्डल के नाम पर दर्ज है। भैरा पुत्र मेघा खाती लाऔलाद फौत हुआ, जिसके न तो पत्नी है न कोई संतान है व वादीगण ने ही भेरा पुत्र मेघा खाती की सेवा चाकरी की है व साथ ही भेरा जी खाती की उक्त आराजियात पर वादीगण भैराजी के जीवनकाल से विगत करीब 35–40 वर्षो से निरन्तर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। भैरा पुत्र मेघा खाती का देहान्त 7 दिसम्बर 1994 को हो गया जिसका सभी सामाजिक क्रियाकर्म वादीगण ने किया । वादीगण ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति है तथा कानून से अनभिज्ञ हैं। भैरा पुत्र मेघा खाती के वादीगण द्वितीय श्रेणी के वारिसान हैं। हाल ही में दिनांक 3 अक्टूबर 2013 का पटवार हल्का के पास पत्थरगढी कराने के लिए नकल लेने गये तब जानकारी हुई कि उक्त भूमि भैरा पुत्र मेघा खाती के नाम पर ही दर्ज है। जिस पर वादीगण ने पटवारी हल्का को भैरा पुत्र मेघा खाती का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश कर वादग्रस्त आराजियात को वादीगण के नाम पर दर्ज करने का निवेदन किया लेकिन वादग्रस्त आराजियात को वादीगण के नाम पर दर्ज नहीं की गई। अतः मौजा केरिया पटवार हल्का केरिया तहसील माण्डल की खतौनी नम्बर 501 में आराजी नम्बर 2553 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, आराजी नम्बर 2559 रकबा 6 बिस्वा, आराजी नम्बर 3560 रकबा 11 बिस्वा, कुल किता 3 कुल रकबा 2 बीघा 04 बिस्वा जो कि वर्तमान में भैरा पुत्र मेघा खाती निवासी केरिया के नाम पर दर्ज है जिसके स्थान पर वादीगण के नाम पर नामान्तरकरण

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

खुलवाये जाने की डिक्री प्रदान की जावे। प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हैं इसलिए खातेदारी अधिकार प्रदान किये जावें।

4. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं बाद विचारण निर्णय एवं डिक्री वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया गया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है।

5. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय/कार्यालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी द्वारा जो वाद पत्र प्रस्तुत किया गया उसमें वादीगण/प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 द्वारा जानबूझकर अपीलाथीगण जो कि स्व0 जीरा जी के द्वितीय श्रेणी के विधिक उत्तराधिकारी होने के बावजूद पक्षकार नहीं बनाया। अधीनस्थ न्यायालय में तारीख पेशी दिनांक 8.10.2015 को प्रतिवादी /प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही भी कर दी गई। उसके उपरान्त वादीगण की एकतरफा बहस सुनकर दिनांक 30.10.2015 को आदेश में प्रकरण नियत कर दिया गया । उसके उपरान्त वादीगण द्वारा दिनांक 5.11.2015 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी पी सी प्रस्तुत किया , जिसमें भी वादीगण द्वारा अपीलार्थी संख्या 1 देबी पिता हीरा को पक्षकार संयोजित करने हेतु निवेदन किया । जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार कर अपीलार्थी के तामील हेतु सम्मन जारी किये । उक्त प्रार्थना पत्र में स्वयं वादीगण द्वारा अपीलार्थी संख्या 1 को भाईबंध होना मानकर स्व0 देबी के

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

विधिक वारिसान होना माना है। इस प्रार्थना पत्र में भी वादीगण द्वारा जानबूझकर अपीलार्थी संख्या 2 जो स्व0 हीरा जी की विधवा पत्नि है उनको पक्षकार के रूप में संयोजित ही नहीं किया गया, जो कि हीरा जी की विधिक उत्तराधिकारी है तथा स्व0 भैरू (मृतक) की वादग्रस्त आराजियात में द्वितीय श्रेणी की विधिक उत्तराधिकारी होने से 1/3 हिस्से की हकदार है। इसलिए अपीलार्थी संख्या 2 के पक्षकार नहीं बनाये जाने से भी अपीलाधीन निर्णय निरस्त योग्य है।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण द्वारा जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी पी सी प्रस्तुत किया गया उसके बाद पत्रावली विधिक प्रकिया अनुसार अपीलार्थी सख्या 1 के तामील में रखी गई, जिसमें अपीलार्थी की कोई सम्यक तामील नहीं हुई। तामील कुनिन्दा से मिलकर वादीगण द्वारा झूंठी तामील करवा दी गई, जिसमें तामील कुनिन्दा की न तो कोई रिपोर्ट दर्ज है और न ही तामील प्राप्त करने वाले की वल्दियत अथवा तामील प्राप्तकर्ता की पहचान किन दो गवाहों के समक्ष की गई, इससे स्पष्ट रूप से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की सम्यक तामील नहीं हुई उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17.11.2015 को अपीलार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अपीलार्थी संख्या 2 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकार ही नहीं बनाया गया । अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वाद की कोई जानकारी नहीं हुई क्योंकि वह सूरत(गुजरात) में रहकर व्यापार करता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय को प्रत्यर्थी/वादी ने मुगालते में रखकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री प्राप्त की है जो निरस्त योग्य है।

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

8. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बडवा द्वारा जारी लिखित पारिवारिक सजरे को माना है उक्त सजरे में भी अपीलार्थीगण का नाम है। जिससे भी यह प्रमाणित है कि वह भी स्व0 भैरा की वादग्रस्त आराजियात में द्वितीय श्रेणी के वारिस हैं। वादीगण द्वारा भैरा वल्द मेघा खाती की मृत्यु की दिनांक 7.12.1994 को होना दर्शाया है जबकि स्व0 भैरा कीक मृत्यु करीब 50 वर्ष पहले हो चुकी थी। वादग्रस्त आराजियात पर वादीगण का कब्जा काश्त नहीं रहा है। यदि वादीगण द्वारा मृतक भेरा की सेवा चाकरी की जाती तो निश्चित ही वादीगण के पक्ष मे कोई गोदनामा अथवा वसीयत का निष्पादन किया जाता । वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में गलत तथ्य प्रस्तुत कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री प्राप्त की है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जावे एवं वादग्रस्त आराजियात में अपीलार्थीगण संख्या 1 व 2 मृतक भेरा के द्वितीय श्रेणी के वारिसान होने से उन्हे सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर उनके हक हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

9. प्रत्यर्थी संख्या 3 से 6 के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी संख्या 1 को पक्षकार संयोजित किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी पी सी प्रस्तुत किया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी संख्या 1 को नोटिस जारी किया गया था। अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया जिसके कारण उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई । अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड, दस्तावेजात का अवलोकन

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

10. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात ,राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थी संख्या 4 से 6 ने वादपत्र प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजियात के खातेदार भैरा वल्द मेघा सुथार की ला औलाद मृत्यु होने का कथन कर वादग्रस्त आराजियात की खातेदारी दिलाये जाने का निवेदन किया। वादीगण ने स्वयं को विधिक वारिसान होना, मृतक की सेवा करने एवं वादग्रस्त आराजियात पर मुखालफाना कब्जा होने का कथन कर वादग्रस्त आराजियात की खातेदारी अधिकारों की घोषणा का निवेदन किया। दौराने विचारण प्रत्यर्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी पी सी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। जबकि वाद पत्र में मृतक भैरा आत्मज मेघा खाती की लाऔलाद मृत्यु होना और अन्य कोई विधिक वारिसान नहीं होने का कथन किया । जबकि जो सजरा बडवा द्वारा जारी किया गया है उसमें अपीलार्थीगण को मृतक भैरा के द्वितीय श्रेणी दर्शाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थीगण ने अपीलार्थी संख्या 1 को ही पक्षकार संयोजित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जबकि अपीलार्थी संखय 2 भी मृतक हीरा के वारिस होकर उनकी विधवा पत्नी है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। जिसे प्रत्यर्थीगण/वादीगण द्वारा मृतक भैरा के द्वितीय श्रेणी के वारिस होना स्वीकार किया है। चूंकि मूल वाद में बाद सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत के पक्षकारों के हक हितों का अंतिम तौर पर निस्तारण किया जाता है। जबकि अपीलाधीन प्रकरण में अपीलार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का समुचित अवसर नहीं मिल पाना

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

प्रमाणित होता है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना में अपीलार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाना नितान्त आवश्यक है। जबकि अपीलार्थीगण को दौराने विचारण वाद सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर उभयपक्ष को सुनवाई का समचित अवसर प्रदान करने हेतु प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं।

11. अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.11.2015 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिप्रेषित कर निर्देशित कियाक जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उपलब्ध साक्ष्य, दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड का अवलोकन कर गुणावगुण के आधार पर विस्तृत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 17/4/20 को उपस्थित रहें।

12. निर्णय आज दिनांक 5.3.2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chandra Lakhara
Date: 2020.03.05 19:14:52 IST
Reason: SelfAttested
Location: